

कार्यालय केन्द्रीय नज़ारत जनपद न्यायालय, आजमगढ़

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनपद न्यायालय, आजमगढ़ की भूमि पर स्थित निम्नलिखित दुकानों चाय-मीठा, नारियल पानी, फोटो स्टेट, पान, सैलून, ठेला, कम्प्यूटर एवं साइकिल स्टैंड आदि की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 06.03.2025 तथा दिनांक 18.03.2025 को अपराह्न 01.30 बजे जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के नवीन परिसर में स्थित 10 कक्षीय न्यायालय भवन के "हाल आफ जस्टिस" में समिति के सभी सदस्य की उपस्थिति में सम्पन्न कराया गया। कुल 40 दुकानों में से दिनांक 06.03.2025 को 18 दुकानें तथा दिनांक 18.03.2025 को 12 दुकानें नीलाम हो चुकी हैं। शेष बची 10 दुकानों की नीलामी दिनांक 24.03.2025 अपराह्न 01.30 बजे जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के नवीन परिसर में स्थित 10 कक्षीय न्यायालय भवन के "हाल आफ जस्टिस" में समिति के सभी सदस्य की उपस्थिति में सम्पन्न किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए जनपद न्यायालय आजमगढ़ की वेबसाइट <http://azamgarh.dcourts.gov.in> पर देखा जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय व स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हो।

10 दुकानों की सूची जो दिनांक 24.03.2025 को नीलाम की जायेगी।

दुकान नम्बर	दुकान की प्रकृति	स्थान
14	पान गुमटी	गेट सं. 04 के पास
18	पान गुमटी	गेट सं. 05 के पास
23	ठेला (चाय)	हवेली न्यायालय के पीछे शौचालय के बगल में
25	चाय-मीठा	हेरिटेज बिल्डिंग के पीछे
28	चाय-मीठा	गेट सं.08 के पास अन्दर की तरफ
29	बाटी चोखा	गेट सं.08 के पास बाहर की तरफ
33	फोटो स्टेट	गेट सं.08 से सटा हुआ
34	पान गुमटी	छ कक्षीय न्या० भवन ब्लाक बी के सामने
39	साइकिल स्टैंड	अभिलेखागार के पीछे
40	पान	गेट सं. 08 के समीप अन्दर की तरफ

नीलामी की शर्तें निम्नलिखित हैं-

1- यह ठेका दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक के लिये वैध होगा। जिन दुकानों की नीलामी होनी है, उनका न्यूनतम आरक्षित मूल्य, पूर्व में जिस दर पर उठाई गयी थी उससे 10 प्रतिशत बढ़ा कर होगा।

2- ऐसे आवंटि, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटन हुआ है, यदि वित्तीय वर्ष 2025-26 की नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करना चाहते हो तो उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की सम्पूर्ण धनराशि नीलामी की तिथि से पहले जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसे ठेकेदार जिन्हें विगत वर्षों में कभी आवंटन हुआ था तथा आवंटित आवंटन से सम्बन्धित कोई भी धनराशि बकाया है तो उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार बकाएदार व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य या उसका प्रतिनिधि ठेका प्राप्त भी कर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जायेगी और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी

3- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभागिता हेतु जिस दुकान की बोली में प्रतिभाग करना चाहता है, उस दुकान की न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में मय आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छाया के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही नीलामी के दिन नीलामी प्रक्रिया में बोली हेतु प्रतिभाग करने का अधिकार होगा। नीलामी में भाग लेने वाले प्रतिभागी द्वारा जमा जमानत धनराशि सफल बोलीकर्ता को छोड़कर शेष का तत्काल वापस कर दिया जायेगा। सफल बोलीकर्ता की 10 प्रतिशत जमा जमानत धनराशि तथा शेष 15 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर कुल 25 प्रतिशत धनराशि जमा करा कर दुकान आवंटित कर दिया जायेगा।

4- जिसके पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी उसे बोली का 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि तीन बराबर किश्तों अर्थात् प्रथम किस्त जून 2025 के अंतिम कार्य दिवस तक, द्वितीय किस्त सितम्बर 2025 के अंतिम कार्य दिवस तक एवं तृतीय किस्त दिसम्बर 2025 के अंतिम कार्य दिवस तक जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दिया जायेगा तथा बकाया धनराशि भू राजस्व के रूप में वसूल किया जायेगा ।

5- जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपर्युक्त बातों की जानकारी किसी भी प्रकार से प्रकाश में आने पर दुकान का ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी ।

6 – नीलामी में सबसे ऊँची बोली बोलने वाले के पक्ष में नीलामी की

बोली स्वीकृत होगी किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं०-24 दिनांकित 18.12.1950 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊँची बोली को अस्वीकार कर दें तथा किसी भी बोली को स्वीकृत कर लें।

7- जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं०- 31 / ए ए दिनांकित 16.03.1953 सपठित परिपत्र सं.-28/ए ए दिनांकित 17.03.1958 में दी गयी शर्तों के अनुसार दुकानदार को बोली के पश्चात रु० 100-00 का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

8 - ठेकेदार को अपने दुकान के आस-पास की सफाई स्वयं करनी होगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं०- 139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहाँ से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके।

9- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थों की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण कर सकें।

10- आवंटियों को कोविड-19 संबंधी समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किए गए संपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

11-खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ के विक्रय हेतु नीलामी में प्राप्त दुकान को अपने खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ की गुणवत्ता बनाये रखने की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। शासन द्वारा निर्गत आदेश व दिशा निर्देश का पालन करना होगा।

12- जितनी भूमि दुकान करने हेतु दी जायेगी उसी में दुकान करना होगा कोई स्थायी निर्माण नहीं करना होगा तथा आवंटन के समय अस्थाई निर्माण स्वयं के खर्चे पर एक सप्ताह में हटाना होगा।

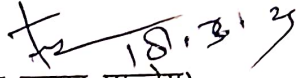
13- दुकानदार द्वारा दुकानों के विद्युत उपभोग किये जाने के लिए विद्युत विभाग से स्वयं से विद्युत संयोजन लेकर विद्युत का उपभोग किया जायेगा उससे सम्बन्धित मासिक किराया प्रत्येक माह में विद्युत विभाग में जमा करते हुए रसीद की छाया प्रति न्यायालय के केन्द्रीय नजारत में जमा करना अनिवार्य होगा।

14 - सेवाप्रदाता उक्त दुकानों में कोई अवैधानिक, अनैतिक या विधि विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। यदि उक्त के संबंध में कोई सूचना / घटना संज्ञान में आती है तो जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये ठेका निरस्त कर दे तथा उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ करें।

15- यदि निरीक्षण के दौरान पाया जाता है कि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दें या पुनः नीलामी करा दे और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसके सम्पत्ति से करा दे। सभी आवंटियों द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

दिनांक- 18 मार्च, 2025

भवदीय,


(जैनेन्द्र कुमार पान्डेय)

अध्यक्ष, नीलामी एवं क्रय समिति

अपर जनपद न्यायाधीश न्यायालय सं.03

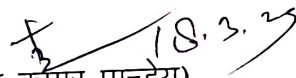
आजमगढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. ओ०एस०डी० कम्प्यूटर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के बेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने हेतु ससम्मान प्रेषित।
2. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर) को जनपद न्यायालय आजमगढ़ की बेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. केन्द्रीय नाजिर, कलेक्ट्रेट आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
6. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
7. जिला सूचना अधिकारी को स्थानीय व राष्ट्रीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
8. कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका परिषद आजमगढ़ (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।

दिनांक- 18 मार्च, 2025

भवदीय,


(जैनेन्द्र कुमार पान्डेय)

अध्यक्ष, नीलामी एवं क्रय समिति

अपर जनपद न्यायाधीश न्यायालय सं.03

आजमगढ़।